

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर,
लांगवुड, शिमला-171001

वर्तमान पता: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, SHIMLA
FIRST & SECOND FLOOR, C.G.O COMPLEX
LONGWOOD, SHIMLA-171001

PRESENT ADDRESS: INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/एच.पी./06/64/2020/एफ.सी. 112

दिनांक: 29/12/2020

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय : Diversion of 4.6147 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Gani to Bhorani Nala road (Kms 0/00 to 7/200), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (online no. FP/HP/Road/41345/2019)

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48-3961/2019 (एफ.सी.ए.) दिनांक 10.12.2020

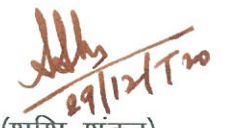
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक ई0डी0एस0 दिनांक 31.07.2020 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया है जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं:

1. बिन्दु संख्या 1 एवं 3 के सापेक्ष में डी.एफ.ओ. द्वारा प्रमाणित सहायक दस्तावेज अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये हैं। अतः राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक ई0डी0एस0 दिनांक 31.07.2020 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 एवं 3 का संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित दस्तावेज इस कार्यालय में शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. नवीन 4.0 हे0 पेच के लिये सम्बन्धित के0एम0एल0 पार्ट-II में अपलोड नहीं की गयी किन्तु डिजिटल मानचित्र के परीक्षण के उपरान्त इसमें भी 1 ha MDF & 1 ha VDF पाया गया है। अतः राज्य सरकार पेनल सी.ए. की entry ऑनलाइन पोर्टल से हटा दे तथा 4 हे0 को कोई अन्य पेच जिसका वनस्पति घनत्व 0.4 से कम हो को चयन कर इस कार्यालय में प्रेषित करे तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. बिन्दु संख्या-02 के सापेक्ष में पूर्व में प्रस्तुत की गयी एन0पी0वी0 की गणना में Interest rate (12%) केवल 5 वर्षों हेतु calculate किया गया था जबकि यह date/year of violation से till deposit is made तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. बिन्दु संख्या-06 के सापेक्ष यह कहा गया है कि लाभान्वित होने वाले ग्रामों की दूरी लगभग 30 कि0मी0 कम हो जायेगी परन्तु इसकी आवश्यकता स्पष्ट नहीं कराई गई है। अतः इस पर राज्य सरकार अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर वांछित कारवाई करा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(शशि शंकर)

सहायक महानिरीक्षक (वन)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून